राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4128/2024 शरमिष्ठा जोशी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी जी का कुआ जुना पतरासर, बाडमेर।	17.12.2024	श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक
2.	4211/2024 हेमलता यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरना डूंगर, झोटवाड़ा, जयपुर।	18.12.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
3.	**4225/2024 मीनाक्षी जांगिड़**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य अधीक्षक अधिकारी, जिला परिषद, बांरा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बांरा। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बांरा।	18.12.2024	श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक
4.	**4228/2024 मीठालाल मीणा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, करौली।	18.12.2024	श्री मलखान चर्तुवेदी, अभिभाषक
5.	**4235/2024 मनीता**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, खैरथल तिजारा। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चौपंकी, ब्लॉक तिजारा, खैरथल–तिजारा।	**18.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
6.	**4237/2024 मनोज कुमार नाई**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, चुरू। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सवाई डेलाना, सरदार शहर, चुरू।	**18.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
7.	**4240/2024 मंजू लता महावर**	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, भीलवाड़ा। प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुरुलां, सुवाना, भीलवाड़ा।	**18.12.2021**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

8.	**4243 ⁄ 2024** **रूपनारायण नागर**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बूंदी। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा, नैनवा, बूंदी।	**18.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 03.01.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4128 ⁄ 2024 शरमिष्ठा जोश बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को ओदश दिनांक 06.12.2024 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन कॉलोनी, ब्लॉक बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरनिया, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 20 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशेष घोषित किया गया है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 31.05.2018 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्सी रेल छोटी सरब, बांसवाड़ा से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन कॉलोनी, ब्लॉक बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I विषय हिंदी के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया था। (अनुलग्नक–2) राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर प्रतिबंध है तथा प्रतिबंध अवधि के दौरान अपीलार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है तथा आरोपित स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाने योग्य है। वरिष्ठता के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों की सूची तैयार किए बिना, अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे कनिष्ठ नहीं है,

लेकिन उसे दिनांक 14.11.2024 के दिशा–निर्देशों के विरुद्ध स्थानांतरित किया गया है। दिनांक 14.11.2024 को अधिशेष शिक्षकों के संबंध में एक दिशा–निर्देश प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार गैर–स्वीकृत पद के विरुद्ध माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा और उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अधिशेष शिक्षकों को समायोजित करते समय, संबंधित जिले में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी और ऐसे अधिशेष शिक्षक को पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में या पद रिक्त होने पर उसी राजस्व गांव में या पद रिक्त होने पर उसी प्रखंड में या रिक्त पद के विरुद्ध निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। अपीलार्थी की सेवाएं स्थानांतरित करने से पूर्व ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और अपीलार्थी को उसी प्रखंड में समायोजित करने के बजाय, उसे अन्य प्रखंड में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को उसी प्रखंड में पदस्थापित किया गया है, जो दिशा–निर्देश के विपरीत है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 06.12.2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थान पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 4128/2024 शरमिष्ठा जोशी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य